

Home Minister is replying—I believe—to the call attention.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is a Call Attention to the Home Minister.

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): Mr. Deputy Speaker, Sir *

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no. I am not allowing. This is not correct. All this will not go on record.

12.17 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

SUSPECTED SABOTAGE OF AIR INDIA BOEING AIRCRAFT 'MAKALU'

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं अविनम्यनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की और गृह मंत्री का ध्यान दिन ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बार में एक वक्तव्य दें: "एयर इंडिया बोइंग विमान 'मकालू' में हुई संदिग्ध तोड़ फोड़।"

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI ZAIL SINGH): Sir, Hon'ble Members would kindly recall the statement I made in this House on 27th April, 1981 regarding attempted sabotage to the Air India Boeing 707 aircraft VT-D P.M. 'MAKALU' which was earmarked for the use of the Prime Minister for her foreign visit commencing from 5th May, 1981.

Considering the seriousness of the matter, I visited Bombay on 29th April, 1981.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): In a special I.A.F. Aircraft.

SHRI ZAIL SINGH: A case under Section 307 IPC and Section 10 of Indian Aircraft Act. has been registered and being investigated by C.B.I. Five persons have since been arrested and 4 have been remanded to Police custody by the Additional Chief Metropolitan Magistrate Bombay. 4 out of the 5 arrested persons are Air India employees and fifth is a dismissed technician of the same Airline.

The investigation of the case by C.B.I. is in progress. I can assure the House that the investigations would be conducted expeditiously and those found guilty will be proceeded against.

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यदि आपने इस वक्तव्य को पहले पढ़ लिया होता और समय पर यह आपको मिल गया होता तो आप इसको मंत्री महोदय को लौटा देते और कहते कि दूसरा स्टेटमेंट दिया जाय। एक तरफ तो सरकार कहती है कि यह गम्भीर मामला है और पूरे देश और विदेश में इसका हवा खड़ा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जब सरकार जवाब देती है तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा लाइटली आज तक किसी दूसरे कालिग एटेंशन को इस सदन में लिया ही नहीं गया है, इसके ज्यादा हल्के तरीके के किसी दूसरे कालिग एटेंशन को दिया ही नहीं गया है। तो यह सर्वप्रथम जो सदन में और मैं समझता हूँ कृष्णाफी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, यह जानने के लिये उत्सुक थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतना बड़ा प्रधान मंत्री के जीवन पर खतरे का षडयंत्र और सारी चीज हो रही है और गृह मंत्री जे ने दो लाइन का स्टेटमेंट पढ़ कर बता दिया कि 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, जांच हो रही है, यह हो रहा है, वह हो रहा है।

[श्री राम विलास पासवान]

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया था इस सदन में उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ 27 तारीख को गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया था उसमें कुछ मुद्दे उठाये थे जिन में से 5, 7 मुख्य थे पहला तो उन्होंने कहा था प्रधान मंत्री की यात्रा 707 बोईंग "मकालू" से तय हुई थी। दूसरा उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल, 1981 को यह जहाज अरुवाबी से बम्बई वापस आया था और उसी दिन सन्तक्रूज हवाई अड्डे पर उसका निरीक्षण प्रारम्भ हुआ। तीसरे इन्होंने कहा था कि निरीक्षण के दौरान 4 प्रमुख केबिल जानबूझ कर काटे पाये गये। फिर इन्होंने कहा उच्चस्तरीय दल ने प्रारम्भिक जांच के दौरान तय पाया कि यह जानबूझ कर तोड़फोड़ की कार्यवाही थी। और उसके बाद नया पीईट कहा कि यदि समय पर पता नहीं चलता तो इसे निश्चय ही "विमान कुछ समय पश्चात्" इन शब्दों पर मैं विशेष जोर दे रहा हूँ, "विमान कुछ समय पश्चात्" दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। और एयर इंडिया ने सी० बी० आई० को विधिवत शिकायत की और वह जांच कर रही है। यह 27 तारीख के गृह मंत्री के बयान का सार है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं समाचार पत्रों आदि के द्वारा उनके अनुसार लगता है कि सारी घटना पर एक रहस्यपूर्ण आवरण है। मन्व्यवर, आप तो जानते हैं कि हम लोगों का राजनैतिक द्वेष ही संज्ञा है, लेकिन सदन के किसी माननीय सदस्य को, वह तो फिर भी देश की प्रधान मंत्री हैं, सदन के किसी भी माननीय सदस्य पर यदि इस तरह से जान से मारने का हमला होता है तो सदन के दोनों पक्ष के लोग

समान रूप से चिन्तित होते हैं। और यह तो प्रधान मंत्री का मामला है। सदन में हमारे राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हाउस से बाहर जब हम जाते हैं तो हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, आपस में कोई मनमुटाव नहीं रखते। मंत्रिपद के लिये आपस में मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है। लेकिन बाहर आपस में कोई मतभेद नहीं रहता। बाहर हम सब लोग एक ही। तो यह जो तथ्य आ रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से यह बहुत ही रहस्यपूर्ण लगते हैं। आज का "इंडियन एक्सप्रेस" आप देखें उसमें निकला है :

"No link seen between 'Makalu' and P.M."

इसी तरह से चार दिन पहले "टाइम्स ऑफ इंडिया" का एडिटीरियल निकला है। तो मैं उसके आधार पर कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

इन्होंने अने जो बक्तव्य में कहा है उसके यह जाहिर होता है कि प्रधान मंत्री की यात्रा के 15, 16 दिन पहले तोड़फोड़ की कार्यवाही हो गई। कम से कम 15 दिन पहले तोड़फोड़ की कार्यवाही हो गई थी अब उपाध्यक्ष महोदय, तोड़फोड़ की जो कार्यवाही होती है वह ऐसी कार्यवाही होती है जिसमें समय का बहुत बड़ा महत्व रहता है, टाइम फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। गृह मंत्री भारत सरकार का सारा मामला है वह इसको अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन साधारण लोग जानते हैं कि सैबोटाज में समय का काफी महत्व रहता है और टाइम फैक्टर बड़ा काम करता है, जिस वंग से इसमें किया गया है, वह मैं बाद में कहूंगा, लेकिन बी०आई० पी० के लिये जब प्लेन उड़ता है, उसके पहले सेक्योरिटी अरेजमेंट करते हैं, और सेक्योरिटी चेक होते हैं। अब जिन्होंने भी साजिश की हो जानबूझ कर के, मंत्री महोदय के जवाब के

कुलविक, उसको सफ़रता मिलने वाला नहीं थी। और यह सारा समाचार पत्रों में आ रहा है।

आपने कहा कि प्रधान मंत्री का ज्ञान तय था। बहुत से समाचार पत्रों में निकला है कि उनका ज्ञान तय नहीं था। उस तरह के तीन विमान वहाँ पर थे, जिसमें से किसी में भी प्रधान मंत्री जा सकती थीं। डेट निश्चित थी कि 5 तारीख को प्रधान मंत्री जायेंगी। तो दूसरा तथ्य यह सामने आता है कि क्या 15, 16 दिन तक उस विमान का कोई शिड्यूल कार्यक्रम नहीं था? वह सिर्फ प्रधान मंत्री के लिये ही वहाँ पर 15 दिन तक बंद करता? जैसा कि समाचार-पत्रों में निकला है, नहीं, इस बीच में उसको 3, 4 बार और जाना आना था। वह गया भी है और थोड़ी सी मरम्मत के बाद वह सिनापुर गया भी और इस यात्रा पर भेजा भी गया।

मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब वी० पी० आई० पी० के लिये सुरक्षा की व्यवस्था होती है तो उसमें कितनी कड़ाई होती है और कितनी सूझबूझ के साथ इन्जीनियर के द्वारा उसे फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया जाता है? कई बार प्लानेट को टेस्ट किया जाता है और अन्त में आई० बी० और अन्य एजेन्सियों के द्वारा छानबीन जांच करवाई जाती है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि --

"...No sane engineer would have detailed a plane straight out of a PIII check for VVAP flight... Because

"after each major check, the planes report some teething trouble before the systems 'settled down'."

और इस कारण से मकालू को स्टीन शिड्यूल प्लानेट में इन कमियों को दूर करने के लिये भेजा जाना आवश्यक था।

जहाँ तक मेरी जानकारी है, पेट्रोल की भी जांच की जाती है कि कहीं उसमें पानी या दूसरी चीज तो नहीं मिला दी गई है। इन सारी चीजों की जांच-पड़ताल की जाती है। गृह मंत्री के कहे अनुसार जो 4 प्रमुख केबल काटे गये, उससे शीघ्र विमान के दुर्घटना की संभावना नहीं थी। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि कुछ समय के बाद दुर्घटना हो सकती थी।

बहुत से समाचार-पत्रों ने अपने कमेंट्स दिये हैं कि अगर उड़ान के दौरान केबल की क्षति का चालक को पता लग जाता तो बिना किसी दुर्घटना के वह विमान को नजदीकी हवाई अड्डे पर उतार सकता था। यह भी पूर्णतया तय नहीं था कि यही एयरक्राफ्ट 'मकालू' प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान उपयोग में लाया जायेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस कार्य के लिये 3 विमान वहाँ थे जिनमें से कोई भी इस काम के लिये चुनना था।

मैं मान भी लूँ कि शायद मकालू का ही इस्तेमाल होता तो मात्र संभावना से 15 दिन पूर्व तोंडफोड की ऐसी कार्यवाही का हवाला देना और उसका सम्बन्ध प्रधान मंत्री की सुरक्षा से जोड़ना, यह कहाँ तक उचित होगा?

सी० बी० आई० ने अदालत में कहा कि इस तोंडफोड की कार्यवाही में विदेशी हाथ है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी हमसे सहमत होंगे कि इस तरह की बात का पता लगना मेटर आफ इवैस्टीगेशन होता है, लेकिन अगर विदेशी का हाथ इसमें होता है तो वह विदेशी हाथ इतना

[श्री राम विलास पासवान]

कमजोर नहीं है और पूर्व-नियोजित तरीके से उसकी सारी कार्यवाही चलती है। तथ्य से पता लगता है कि यह बहुत कन्ट्रोवर्शियल मामला है इसमें और कई बातें हैं, जिन्हें मैं उठाना नहीं चाहूंगा, लेकिन विदेशी हाथ की जो बात कही, यह एक बड़ा तमाशा देश में किया गया है। जिस घमाके के साथ 27 तारीख को यह बात इस सदन में आई, ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वह तमाशा की स्थिति और उत्पन्न होती जा रही है।

जिस विदेशी हाथ का इन्होंने हवाला दिया, सी० बी० आई० ने कोर्ट में जाकर कहा तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी तक उस सम्बन्ध में क्या जानकारी उन्हें मिल पायी है या नहीं मिल पायी है ?

5 एयर-इंडिया के अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। बिना जांच किये हुए क्यों बर्खास्त किया गया ? उन्हें बिना बचाव का मौका दिये हुए ही डिस्मिस कर दिया गया।

और समाचार पत्रों के अनुसार
(व्यवधान)

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Certainly we will defend honest officers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Unnikrishnan, please do not interrupt.
(Interruptions)

PROF. K. K. TEWARY (Buxar): I rise on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can't raise a point of order. This is Calling Attention. Please sit down.

PROF. K. K. TEWARY: Discussion is to be regulated by rule. Nobody is above rule.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Rules will be followed.

PROF. K. K. TEWARY: I can read it also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have gone through the rule.

PROF. K. K. TEWARY: Nobody can take more than 3 minutes. He has taken more than 30 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is a serious discussion. I am sorry. I will not allow you.

PROF. K. K. TEWARY: Rules are being violated.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him conclude.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Discussion should not prejudice the investigation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will see to that. We will see that it does not prejudice the investigation.

Please conclude. Come to the question.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार दिन पहले श्री मिश्र एक कार्लिंग एटेंशन नोटिस पर बोले थे और उन्होंने 45 मिनट या एक घंटा लिया था। मैं तो सारे फ्रैक्ट्स बता रहा हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये सब फ्रैक्ट्स समाचार पत्रों में आए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी बात है, मेरा कहना है कि यह सम्भावना है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री ने जो बक्तव्य दिया है, और जो तथ्य सामने आ रहे हैं,

I am reading the rule.

वे एक दूसरे से कितने कान्फ़ाडिकटरी हैं।
मंत्री महोदय को जवाब देने का पूरा
समय मिलेगा और वह बतायेंगे कि क्या
शलत है और क्या ठीक है। माननीय
सदस्य क्यों बाध कर रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You
yourself have taken half-an-hour.
Only half-an-hour is there for Calling
Attention. You should conclude. You
should be short and put a question
only. You are making a long speech.

श्री राम विलास पासवान : समाचारपत्रों के
अनुसार श्री एम० पी० खारका, डायरेक्टर
आफ़ इंजीनियरिंग, और श्री ए० एस०
बाणिक, डिप्टी डायरेक्टर आफ़ इंजीनियरिंग
(मेन्टेनेंस), इन दोनों अधिकारियों का
सान्ताक्रूज़ काम्प्लेक्स पर सुरक्षा का
उत्तरदायित्व भी नहीं था, उनकी वह
जवाबदेही थी ही नहीं, जिसके लिए
उनको डिस्मिस किया गया है। सरकार
ने अभी दो दिन पहले

MR. DEPUTY-SPEAKER: You
must conclude. If you had put ques-
tion only, you would have put so
many questions by this time. You are
making a speech. Mr. Paswan, you
are a learned member of the House.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष
महोदय, अभी चार दिन पहले कुष्ट रोग
सम्बन्धी कालिग एटेंशन नोटिस में पहले
वक्ता को 45 मिनट का वक्त दिया गया
था। मैं तो अभी दस मिनट भी नहीं
बोला हूँ और आप मुझे कानक्लूड करने
के लिए कह रहे हैं।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is
not the way. You don't interfere.
You know the rules.

"The total time taken on a Calling
Attention should not be more than
half-an-hour."

"For asking clarificatory ques-
tions, the Member should not take
more than about 3 minutes, and the
other Members about 2 minutes
each."

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष
महोदय, आप जरा हैडफोन को कान
पर लगाइए। आज से चार दिन पहले
आपने किस रूल के तहत सदस्यों को
ज्यादा टाइम दिया था ? (ब्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You
need not reply to that. Please con-
clude. You need not reply. You may
please put the question.

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कह
रहा हूँ कि यह बहुत ही सीरियस मैटर
है . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will
be happy if you are not angry. Now,
you put your question.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I
am asking only questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Senior
Members of this House and leaders of
the party should confine to the rules.

श्री राम विलास पासवान : क्वेश्चन मैं
पूछ रहा हूँ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ
कि यह जहाज जो था उसको कहाँ कहाँ
जाना था और कितने घंटे लगते उस
सैबोटेज और प्रधान मंत्री की यात्रा के
दरमियान ? प्रधान मंत्री की यात्रा और
यह जो पता चला कि सैबोटेज है इस
के बीच में फ्लाइट को कहाँ-कहाँ जाना
था, उसमें कितने घंटे लगते और उसमें
टेकनिशियन की राय आप ने मांगी है
कि वह दुर्घटना कितने घण्टे के बाद होती ?
आप यह बताने की कृपा करेंगे कि . . .
(ब्यवधान)

[श्री राम विलास पासवान]

मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप हिन्दी समझते नहीं हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You know the rules and act according to the rules. I need not intervene like this every time.

(Interruptions)

श्री राम विलास पासवान : मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Masood, you will get your chance. Your name is in the list. He can defend himself. You please sit down.

(Interruptions)

श्री राम विलास पासवान : सरकार ने कहा कि 20 अप्रैल को जांच की गई है।

.... (इशबखान) दिक्कत तो यह है कि you can't follow Hindi.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Already he has made a speech and he is now repeating it in the form of questions.

(Interruptions)

श्री राम विलास पासवान : मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि यह तो 20 तारीख का मामला है, 20 तारीख की जांच रिपोर्ट को आप सभा-पटल पर रखेंगे? 20 तारीख की जांच रिपोर्ट का जो आप ने हवाला दिया क्या उसको सभा पटल पर रखेंगे? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह सैंडोटेज का मामला था या साधारण तोड़ फोड़ की कार्यवाही थी? जब मकालू को प्रधान मंत्री की यात्रा के पहले चार कामशियल उड़ानें भरनी थीं तो प्रधान मंत्री की सुरक्षा के साथ इसको कैसे जोड़ा गया? हम लोग जानते हैं कि एक साइकोलोजिकल वार फेयर होता है, प्रोपेगेंडा होता है देश की जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए तो क्या इसमें सरकार का ही हाथ तो नहीं है कि सरकार देश की सहानुभूति हासिल

करने के लिए और देश के भीतर जो संशय है उस समस्या से जनता का ध्यान दूसरी जगह हटाने के लिए ...

(इशबखान) : ... सरकार चाहती है कि जनता का ध्यान इधर से हटा दे और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ सी० बी० आई० के ऊपर हम लोगों को भरोसा नहीं है, सी० बी० आई० सरकार की कांतिपिरेसी को इम्प्लीमेंट करने वाली बड़ी हो गयी है, वह सरकार की कांतिपिरेसी को इम्प्लीमेंट करती है, तो क्या सरकार इसकी जांच भारत के मुख्य न्यायाधीश की सजाह से भारत के किसी न्यायाधीश द्वारा कराएगी जित के अन्दर

PROF. K. K. TEWARY: Sir, on a point of order..... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is already concluding. Mr. Paswan, please conclude. You have taken more than half-an-hour.

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा हूँ कि क्या सरकार इसकी जांच भारत के मुख्य न्यायाधीश की सजाह से किसी न्यायाधीश के द्वारा कराएगी जितके तहत टेकनिशियंस की एक टीम हो?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मिस्टर पासवान ने यह साबित कर दिया कि वह भोला पासवान हैं... (इशबखान) : बुजुर्ग पासवान हैं। भ्रम बुजुर्ग पातमान हो गए हैं। (इशबखान)

जो नुकते यहाँ उठाए गए हैं उनको नहीं कहना चाहिए था। उतमें कुछ बातें तो वह हैं जो उन्होंने मेरे स्टेटमेंट की दोबारा व्याख्या में कहीं हैं और कुछ बातें वह हैं जो बिल्कुल असंदिग्ध हैं। पहली बात तो यह है कि यह हवाई जहाज प्राइम मिनिस्ट्र की फ्लाइट के लिए, उनके विदेश जाने के लिए इयर मार्क किया गया था और इसकी जो पी-वी

बैकिंग थी उसमें एक दाढ़ा डैमेज हुआ देखा गया। जब उसको दुहरा करने लगे तो पाया चला दूसरे जो केबलज है उसमें भी डैमेज किया गया है और फिर जहाज को खोला गया। तीन दिन पहले जो एक साधारण बैकिंग होती है उसके बाद डैमेज करना सामुनकिन है, कोई डैमेज कर नहीं सकता था।

यह कहना कि 15 दिन इस जहाज को फ्लाइट करने के लिए थे, यह गलत है। कुछ दिन फ्लाइट करने के थे और एक्सपर्ट की यह राय है कि इसको फायलट वान्ट्रोल नहीं कर सकता था और उसको बिल्कुल पता नहीं लग सकता था। लेकिन यह पक्की राय है कि कुछ समय यह हवाई जहाज ऐसे ही चलता और कुछ समय के बाद इस हवाई जहाज का नुकसान होना था, इसको फिरना था। इसलिए यह कहना कि सरकार ने जानबूझ कर ऐसा कहा है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। इससे सरकार को कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। (अबबखान) पासवान जी, मैंने आपको बड़े सन्न और संतोष से सुना, आप भी थोड़ा सन्न और संतोष कीजिए, दाढ़ी का ही लिहाज रखिए और दूसरों को भी बोलने दीजिए।

यह जो डैमेज हुआ वह प्लानिंग के साथ हुआ और एक्सपर्ट की जो राय है उसको मानिए। कोई दूसरा आदमी राय दे तो उसको मानना नहीं चाहिए, मेरी राय को भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह टेक्निकल बात है। हम यतन भी करें कि प्राइम मिनिस्टर के दूर से इसको अलाहदा कर दें तो हम कर ही नहीं सकते हैं, हम इसको छिगा ही नहीं सकते हैं। यह एक हकीकत है कि हवाई जहाज जाना था और उस रोज खुला, खुलते धका ही हवाई जहाज को डैमेज

किया जा सकता है, उसके केन्स को और यह किया गया।

पासवान जी ने कुछ और नुक्ते उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एअर इंडिया के कुछ अफसरों को होम मिनिस्टर ने डिसमिस्ड कर दिया, बगैर किसी कारण के और बगैर किसी नोटिस के। यह आप जानते हैं कि एअर इंडिया आटोनामस बाडी है और वह अपने अफसरों को, अपने कर्मचारियों को अपने रूल्स ऐंड रेग्युलेशन्स के मातहत रखती है और उनको हटा सकता है। इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। उन्होंने अपने रूल्स ऐंड रेग्युलेशन्स के मातहत उनको हटा दिया है। वे लोग अदालत में गए हैं या नहीं—मैं नहीं कह सकता लेकिन वे अगर चाहें तो जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। पासवान जी को यह सवाल करने का अधिकार तो था लेकिन इसको जहरत नहीं थी।

एक बात उन्होंने अनजाने में कही है या जानबूझ कर, कुछ भी हो, उन्होंने एक गोला दरिया में फेंक दिया कि थोड़ी देर पानी पूंजता रहेगा। दुनिया में कोई भी ऐसे बाकयात को जुडोशियल इन्क्वायरी नहीं करता है न जुडोशियल इन्क्वायरी में ये लोग पकड़े जा सकते हैं। इसलिए निहायत जरूरी था कि प्रोपेरा-चैनल से उनकी इन्क्वायरी कराई जाए। यह कहना कि सी० बी० आई० तो सरकार का एक अंग है। आप यह बताइए कि सरकार के अंग नहीं होंगे तो सरकार क्या करेगी। सरकार के अंग तो होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। सी० बी० आई० असलियत को जानने की कोशिश कर रही है। इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में कोई सम्यह अभी तक नहीं है, समाचार पत्रों ने क्या लिखा है, उनकी भी एक-

[श्री जैल सिंह]

राय नहीं है। किसी ने कुछ लिखा है और किसी ने कुछ लिखा है। जब तक यह मामला अण्डर-इन्वेस्टीगेशन है, तब तक पटिकुलरली इस पर मुझे कोई राय नहीं देनी चाहिए। गृह मंत्री माइंड बनाकर राय देंगे तो यह अच्छा नहीं है। अदालत में केस चला गया है और अदालत में केस सब्जूडिस हो जाता है, इसमें भी उनका नुकसान है।

मैं मैम्बर साहबान से प्रार्थना करूंगा कि जिस जजबे के साथ पहले रोज सबने अपने सैन्टीमेंट जाहिर किए थे, वही सैन्टीमेंट हमारा है। यह प्रधान मंत्री की लाइफ का सवाल है। किसी कन्ट्री के प्रधानमंत्री के लिए सब कोमें अपनी-अपनी चिन्ता और ख्याल रखते हैं। मगर इस को भी आप मानिए कि हवाई जहाज प्रधान मंत्री के सवार होने के बाद क्रेश होता या समय से पहले होता तो कम से कम उस हवाई जहाज में 126 सवार होते हैं, क्रू के अलावा, उनकी भी जानें कीमती हैं। इतने बड़े हवाई जहाज को डैमेज करना कोई छोटी बात नहीं है और इसको ... (व्यवधान) ... इन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी तकरीर मत करो और उन्होंने एन ही सवाल पूछा और वह यह है कि इस हवाई जहाज को कहां-कहां जाना था? यह मैं बता नहीं सकता, चूँकि न तो मैं पायलट का काम करता हूँ और न मैं उस कारपोरेशन का चेयरमैन हूँ। कहां-कहां जाना था, इतना मुझे मालूम है कि उस हवाई जहाज ने 5 तारीख से पहले कुछ दिन के लिए फ्लाइट बन्द करनी थी। 15 दिन का अरसा जो कहते हैं, वह गलत है, वह 6-7 दिन से ज्यादा नहीं है और जो मुझे खबर मिली है, उस हवाई जहाज ने केवल 80 घण्टे के करीब फ्लाइट करनी थी। मगर ये

बातें एक्सपर्ट के सामने आ सकती हैं, वही इसका जवाब दे सकता है कि कितनी देर में हो सकता है। लेकिन एक बात एक्सपर्ट ने साफ कही कि डैमेज के साथ न तो पायलट कन्ट्रोल कर सकता है। और न यह जहाज को जल्दी गिरने देगा, पता नहीं लगेगा लेकिन कुछ समय बाद इस हवाई जहाज को आउट-आफ-कन्ट्रोल देखेंगे और यह गिर जाएगा— यह उनकी राय है। मेरा ख्याल है कि मैंने पासवान जी की बातों का जवाब दे दिया है

श्री राम बिलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सा सवाल किया था कि क्या प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में 20 अप्रैल की रिपोर्ट समा पटल पर रखेंगे अब कोई चीज ज्ञानी जी, सिक्के नहीं रह गई है, रोज निकल रही है। 20 तारीख की रिपोर्ट को क्या आप सदन के समा पटल पर रखेंगे कि प्रधानमंत्री की यात्रा और इन्स्पेक्शन के बीच में कितने घण्टे का मार्जिन था, कितन घण्टे की उसकी अवधि थी, जिसमें उसको क्रेश होना था?

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह गलत कह गया था कि 126 सीट्स हैं। इस जहाज में 12 फुट-क्लास होती है और 132 इकानोमि क्लास है— यह मैंने दुरुस्त कर दिया है। दूसरी बात जो पासवान जी कह रहे हैं कि कोई बात छिपी नहीं रही। मैं कहता हूँ कि अगर आप ही मानते हैं कि कोई भी बात छिपी नहीं रही, यह सब प्रकाशमान है, सबको जाहिर है, लेकिन आप अखबारों की बात पर एतबार करेंगे तो आपकी पार्टी को अखबार कहीं गिनते ही नहीं है कि है या नहीं है।

श्री राम बिलास पासवान : इसमें पार्टी का क्या सवाल है।

श्री जील सिंह : मैं कहता हूँ कि समाचार-पत्रों की राय पर ध्यान तो देना चाहिये, लेकिन ऐसे टेकनीकल मामलों में जब तक कोई एक्सपर्ट अपनी राय नहीं देते, समाचारपत्रों की राय को राय नहीं बनाया जा सकता।

SHRI G. M. BANTAWALLA: (Ponnani): Mr. Deputy Speaker, Sir, the attempt of sabotage of the aircraft that was earmarked to carry our Prime Minister is to say the least, most shameful, highly condemnable and deplorably cowardly. It is good that the hon. Home Minister took this House into confidence at the earliest opportunity. Had he not done so, I am afraid several stories about this attempted sabotage would have circulated creating more confusion than the confusion which is being tried to be created by certain interests today. It was therefore a very great act of wisdom on the part of the hon. Home Minister to have come to this House at the earliest opportunity to take the entire nation into confidence. Cowardly attempt was being on the life of our Prime Minister. While congratulating the Home Minister for having come to this House at the earliest opportunity, I must also congratulate the team or those persons who first discovered that the defects had been created with such a great consequence. Let us look at the facts. It is an established fact that defects were induced, that there was an attempt at sabotage of the aircraft. This is beyond question. It is undoubted. The advice of the experts had established that an attempt was made to sabotage and to induce defects with respect to the vital system. A question one would ask is: is this sabotage linked with the life of our Prime Minister? Was it for the purpose of taking her life? I would like every member of this House to consider one fact. Will any saboteur come forward to carry out his scheme of sabotage directed towards unknown flight and towards un-

known passengers? No doubt this particular aircraft was to undertake certain commercial lights before taking the Prime Minister, but no saboteur will have that such or motivation to direct his attempt at taking the life of unknown persons. There was every probability that the aircraft would carry our Prime Minister. Moreover the saboteurs had a master mind. Perhaps they know that before the Prime Minister would be carried in this aircraft some flights will be undertaken and, therefore, they were experts enough, shrewd enough to so induce defects as to a delayed action.

SHRI BAPUSAHEB PARULE KAR (Ratnagiri): Can it be done?

SHRI G. M. BANATWALLA: That is a different thing whether it can be done. The fact that it has been done has come before the House. Moreover, it is being enquired into by the CBI.

It is said that a premature hullabaloo had been made with respect to this act of sabotage.

It is also said... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I was telling the hon. Member that Mr. Banatwalla knows the rules. (Interruptions).

SHRI G. M. BANATWALLA: It has also been pointed out here that at the last moment when the plane was to take off and all that, the defects could have been detected; why create this hullabaloo now. That shows the light manner in which they take the whole thing. And this light attitude is condemnable. Who could take the risk of waiting till the last moment for such a serious act of sabotage? We must act and act at the very first moment. And had the Government not acted at the first and the earliest opportunity, I would have been the first to come before the House condemning the Government and even asking them to vacate

Shri G. M. Banatwalla
the office. It is a good thing that the whole situation was not taken lightly. In the light of what I have said, I now want to ask a few questions: A deliberate attempt is being made to create confusion.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Why?

SHRI G. M. BANATWALLA: I must say that an attempt is being made to influence even the CBI inquiry. That the cult of violence is growing in our country, most unfortunately is a fact which cannot be denied. I wish and I ask the hon. Minister to give a categorical assurance to this House that any attempt at creation of confusion will have no effect whatsoever upon the CBI inquiry. There is an impatience. Nobody wants to wait till the CBI inquiry is completed and facts are out. And this impatience therefore with an attempt to create confusion is meaningful; I charge, it is politically motivated. Because of the seriousness of the whole situation I want the hon. Home Minister to give a categorical assurance to this solemn House that a CBI inquiry will be proceeded with and will have no effect whatsoever about this conclusion that is being created. We would also like to be informed as to the stage in which this inquiry is at present. You have assured us that the inquiry will be expeditiously carried out. Can you mention how long it will take for more facts to be known? There is also a report to the effect that there is a foreign involvement. Mr. Home Minister, what is your reaction in the matter?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please complete your question.

SHRI G. M. BANATWALLA: Then, Sir, though some people may take a light attitude of discovering the defect at the eleventh or twelfth hour, perhaps wishing that the defect was never detected also, I would like to ask the hon. Home Minister

to tell the House whether full security arrangements have been made both at the airport and in respect of every matter concerning the flight, concerning the aircraft which will now carry our Prime Minister.

13.00 hrs.

श्री जैल सिंह : आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, जो विचार आनरेबल बनातवाला जी ने रखे हैं, हिन्दुस्तान का हॉर वीर होश, दूरन्देश और देशभक्ता ऐसे ही विचार रखता है। जानबूझ कर जो कंफ्यूजन पैदा किया गया है, उसका भी हम मुकाबला करेंगे। मैं बनातवाला जी को यह यकीन दिलाता हूँ कि कंफ्यूजन पैदा करने वालों की जो कोशिशें हैं उनको हम मिटा देंगे और जो वाक्या हुआ है और जो अजल गुनहाना है उनको निष्पक्षता से जाहिर करके, कौम के सामने रखेंगे और सजा दिलायेंगे ?

बनातवाला जी ने एक और बहुत जोरदार बात कही। मैं समझता हूँ कि यह उनको कहने का हक है, मुझे भी सुनने का हक है और मुझे उन पर अनुरोध करने का भी हक है। यह यह है कि प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्टि की इंजायम बहुत पक्का होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। यह उनका कहना है। मैं हाउस के मेम्बरान से कहता हूँ कि हम लोग तो उनका पूरा इंजायम करेंगे, लेकिन ईसान परिपूर्ण नहीं होता। खुदा सब बातें जानता है। मैं एक बात कह सकता हूँ कि भारत की प्रधान मंत्री को खुद खुदा के घर, परमात्मा के घर रक्षा मिली हुई है। जिस्मानी तौर पर उनको खत्म करने की बहुत कोशिश की गयी, एक बार नहीं, अनेक बार, प्रधान मंत्री होते हुए भी और जब वे प्रधान मंत्री नहीं थीं तब भी कोशिश की गयी थी लेकिन ईश्वर की कृपा है—मैं

अभिमान से तो नहीं कहता—कि भगवान की कृपा है, परमात्मा की मेहर उनके ऊपर ऐसी है कि उनका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। हम तो इतना ही कह सकते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rasheed Masood,

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) :
 मोहनरिम, डिप्टी स्पीकर साहब, दुनिया में

AN HON. MEMBER: Sir, what are we adjourning?

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will conclude this now.

SHRI RASHEED MASOOD: I have not even started. This is not the way

MR. DEPUTY-SPEAKER: I was not telling you, I was replying to somebody else.

श्री रशीद मसूद : इस दुनिया में जिने भी जो-जान वाले हैं वे जानदार कहलाते हैं। जो अकल की कसौटी पर परख कर चीजों को कुबूल कर लेते हैं उनको इंसान कहते हैं और जो अकल की कसौटी पर परख नहीं सकते हैं, उनके अन्दर इसकी सजाहिया ही नहीं होती है, ऐसे लोगों को जानवर कहते हैं। यही वजह है कि जिस दिन हमारे मोहनरिम होम मिनिस्टर साहब ने इस हाउस को इत्तिला दी कि प्रधान मंत्री जी के हवाई जहाज का सेबोटेज किया गया है, उस दिन इस हाउस के हर आदमी ने सिम्पथी जाहिर की और इस बात पर दुःख जाहिर किया कि ऐसा हुआ। उसके बाद जब हालात सामने आने लगे तो जैसा मैंने अभी फारमाया कि जो जानदार अकल की कसौटी पर

किसी बात को परखेगा, उनको इंसान कहते हैं। जब अकल की कसौटी पर तमाम बातों को परखने की कोशिश की गयी तो हम सब इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप सभी बातों को उठा लें, सारे अखबार उठा कर देख लीजिए यह बात अकल की कसौटी पर पूरी की पूरी, मुकम्मिल नहीं उतरती है। एक एम० पी० खारकर और दूसरे ए० एम० कार्निकर साहब ने जूमे के रोज, 24 तारीख के रोज इत्तिला दी और 25 तारीख को उनको सस्पेंड किया गया, निकाला गया।

मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि जिन लोगों की रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं थी और जिन लोगों ने निकालने के बाद फौन ही इन तरीके से सेबोटेशन के बारे में क्या उनको इस तरह से निकालना ठीक था? क्या यह आर्टिकल 311 का क्लीयर वायोलेशन नहीं है? क्या इसके पीछे यह मकसद नहीं है कि अब तो हम आपकी निकाल रहे हैं लेकिन तुम कोर्ट से दुबारा वापस आ जाना ताकि लोगों को इतना ही हो सके कि यह सेबोटेज था और हम कह सकें कि सरकारी कर्मचारियों को निकाल कर कार्यवाही की है?

दूसरी बात यह है कि वहां पर बोइंग 747 में 14 अप्रैल को एक लडकी का रेप किया गया। वह इस कदर गैर-महफूज जगह है, आपने उस गैर-महफूज जगह की हिफाजत करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? दूसरे जो बात कही जाती है? उसके बारे में ज्यादा तो नहीं कहता, मैं होम मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको यह मालूम है कि हवाईजहाज के अन्दर जब किसी केबिल सिस्टम में खराबी हो जाए तो दूसरा सिस्टम काम करता है ताकि

[श्री. रमोद मसूद]

वह जहाज सही तरीके से और आसानी से दूसरी जगह पर उतारा जा सके ? और जब बूस्टर सिस्टम खराब होता है तब केबल सिस्टम से वह चलता है ।
... (व्यवधान) ...

मेरा सवाल यह है कि क्या इस प्रकार होता है । दूसरी बात यह है कि क्या एक्सिडेंट की रीमॉन्ट पासिबिलिटी थी, इमोजिक्ट पासिबिलिटी नहीं थी ? कितने डिस्टेंस तक फ्लाइट करने के बाद एक्सिडेंट हो सकता था और प्रधान मंत्री की यात्रा के पहले इसे कितना डिस्टेंस कवर करना था । और तीसरा सवाल यह है कि क्या यह तय नहीं किया गया था कि प्रधानमंत्री इसी जहाज से जाएंगी ?

श्री. रमोद मसूद : اس دنيا

میں چاہتا ہوں کہ جی جی جان والہ میں وہ جاندار کہلاتے ہوں جو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر چھڑوں کو قبول کر لیتے ہیں ان کو انسان کہتے ہیں۔ اور جو عقل کی کسوٹی پر پرکھ نہیں سکتے ہیں انکے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جانور کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن ہمارے محترم ہرم مسٹر صاحب نے اس ہاؤس کو اطلاع دی کہ پردھان ملتوں جی کے ہوائی جہاز کا سہولتچ کہا گیا ہے اس دن اس ہاؤس کے ہر آدمی نے سمجھتی ظاہر کی اور اس بات پر

دکھ ظاہر کیا کہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد جب حالات سامنے آنے لگے تو جھسا میں نے ابھی فرمایا کہ جو جاندار عقل کی کسوٹی پر کسی بات کو پرکھے گا اس کو انسان کہتے ہیں۔

جب عقل کی کسوٹی پر تمام بانوں کو پرکھنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس سمجھ پر پہنچے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ آپ سبھی بانوں کو اٹھا لیں، سارے اخبار اٹھا کر دیکھ لے لے، یہ بات عقل کی کسوٹی پر پروری کی پروری مکمل نہیں آرتی ہے۔

ایک اہم - سی - کارپور اور دوسرے اے - ایس - کارپور صاحب نے جمعہ کے روز ۲۳ تاریخ کے روز اطلاع دی اور ۲۵ تاریخ کو آنکو سسپینڈ کیا گیا، نکالا گیا۔

میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جن لوگوں کی ریپریزنٹیشن میں نہیں تھی اور جی لوگوں نے نکالنے کے بعد فوراً ہی اس طریقے سے سہولتچ کے بارے میں کہا ان کو اس طرح سے نکالنا ٹھیک تھا؟ کہا یہ آرٹیکل ۳۱۱ کا کلمہ وائولیشن نہیں ہے؟ کہا اس کے پہچنے یہ مقصد نہیں ہے کہ اب تو ہم آپکو نکال رہے ہیں لیکن تم کو روک سے دوبارہ ریپس آجانا تاکہ لوگوں کو یہ طمانان ہو سکے کہ یہ سہولتچ تھا

اور ہم کہہ سکیں کہ سرکاری کو مجازاتوں
کو نکال کر کاروائی کی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر
ہونیکنگ ۷۲۷ مہین ۱۲ اپریل کو
ایک لڑکی کا رہیپ کہا گیا وہ اس قدر
شہر . محفوظ جگہ ہے، آپ نے اس غیر
مہفوظ جگہ کی حفاظت کرنے کی
فہم دہائی کہوں نہیں لی؟
دوسری جو بات کہی جاتی ہے
اسکے بارے میں میں زیادہ تو

نہیں کہتا، میں ہوم منسٹر صاحب
سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا
ان کو یہ معلوم ہے کہ ہوائی جہاز کے
اندر جب کسی کھپل مستم میں
خرابی ہو جائے تو دوسرا مستم
کام اتارا ہے تاکہ وہ جہاز صحیح
طریقے سے اور آسانی سے دوسری جگہ
پر کرناجائے؟ اور جب ہوسٹو
مستم خراب ہوتا ہے تب کھپل مستم
سے وہ چلتا ہے۔ (رکاوٹ)

مہرا سوال یہ ہے کہ کیا اس
پرکار ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
کیا ایکسپلٹ کر ریموٹ پاسی
بلتی تھی۔ ایکسپلٹ پاسی بلتی نہیں
تھی؟ فلائٹ کرنے کے بعد ایکسپلٹ
ہو سکتا تھا۔ اور پوربھان ملتوی کی

مہرا کے پہلے اسے کتنا قسطنطس کو
کرنا تھا۔ اور مہرا سوال یہ ہے کہ
کیا یہ طے نہیں کیا گیا تھا کہ
پوربھان ملتوی اسی جہاز سے جائیگی؟

آئی جیل سیٹھ : ڈپٹی سپرمر ساہب،
میانرےبل ممبر نے ایک سوال یہ پوچھا ہے
کی ڈیٹیکٹ کسے کیا گیا اور کس نے
کیا۔ یہ بات میں آج بتانے والا
نہیں ہوں، انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے
آئی ہے۔ انہوں نے ایک اداکار بھی
دیا کہ ایک لڑکی کے ساتھ رہ رہا،
یہ ریلیوٹ نہیں ہے۔

آئی راجوہ مسعود : اسکے بارے میں
سوال نہیں پوچھا گیا، میں تو آپ کے
سیکریٹری آف جرنل کے بارے میں بتا رہا
ہوں۔ آپ مجھے لیکچر دے دیتے تو میں
وہی پوچھ لیتا۔

شری رشید مسعود : اس کے بارے

میں میں نے سوال نہیں پوچھا تھا
میں نے تو آپ کے سیکریٹری آف جرنل
کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ مجھ
کو یہ کہہ کر دے دیتے تو میں وہی
پوچھ لیتا۔

آئی جیل سیٹھ : میں کوئی ناراجی
نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میانرےبل
ممبر کی ہر بات کا جواب دینا چاہیے۔

ڈپٹی سپرمر ساہب، اس بات میں
میں سب سے پہلے اسے پوچھتا ہوں کہ
آئی جیل سیٹھ نے کہا، اس کے بارے

[श्री जल सिंह]

में दे रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि इसमें कारेन हेण्ड नज़र आता है। इसके बारे में मेरे पास इतिला आई है, मैं आपको बता रहा हूँ। सी० बी० आई० के जो वकील यह आरग्यू कर रहे थे कि हमको रिमांड मिलना चाहिए ताकि हम जांच कर सकें, उनको सिर्फ इतना ही कहना था कि हमें इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या इसमें कोई विदेशी हाथ है या नहीं?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है ?

श्री जल सिंह : मुझे अभी इन्फॉर्मेशन बतानी नहीं चाहिए। अगर आज मैं कह दूँ कि विदेशी हाथ है तो भी इन्वेस्टीगेशन में नुकसान हो सकता है और अगर कह दूँ कि विदेशी हाथ नहीं है, तब भी इन्वेस्टीगेशन में नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अखबार वालों को कैसे ब्रीफ किया है ?

श्री जल सिंह : उन्नीकृष्णन जी, आप खड़े ही हो जाएँ, वैसे आपका नाम तो है ही नहीं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसका फायदा आप क्यों उठाते हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी। डिप्टी स्पीकर साहब, जिसका अदब करें, जिसकी इज्जत करें वह भी इसका नाजायज फायदा उठाएँ, यह ठीक नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बात आज नहीं कहूँगा कि विदेशी हाथ था या नहीं था, क्योंकि यह मामला अभी अंडर इन्वेस्टीगेशन है।

श्री रामबिलास पासवान : सब जगह अगर विदेशी हाथ होता है तब तो आपकी स्तीफा ही दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जल सिंह : ठीक है, इस कंटेक्ट में मैं कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि इसकी चर्चा के बहुत से मोके आएंगे।

SHRI RASHEED MASOOD: Sir, my question has not been answered. (Interruptions). Sir, not even a single point has been answered. What is the use of the questions?

मैंने पूछा था कि केबिल सिस्टम खराब होने पर बूस्टर सिस्टम इस्तेमाल करके उसको सेफ प्लेस पर उतारा जा सकता था या नहीं? इसका जवाब नहीं आया है। मैंने यह भी पूछा था—क्या आपने पता लगाया है कि कितने घण्टे की फ्लाइट के बाद जो केबिल सिस्टम था वह खराब हो जाता? कितने किलोमीटर की फ्लाइट के बाद जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की फ्लाइट होनी थी, वह खराब हो सकता था और जहाज़ कितना डिस्टेंस कवर कर सकता था?

میں نے پوچھا تھا کہ کہیل-سسٹم خراب ہونے پر بوسٹر-سسٹم استعمال کرنے اس کو سہل پلےس پر اتارا جا

सकता था या नहीं ? इस का जवाब
 नहीं आया है - हमें ने ये भी पूछा
 था—क्या आप ने बंदे लकिया है के कलमे
 कलमे की फ्लॉक के बाद जो कहल -
 ससुम तथा वे खराब हो जाना ? कलमे
 क्लो. मीटर की फ्लॉक के बाद जोस दिन
 प्रो. मीटर की फ्लॉक हونی नही +
 वे खराब हो सकता था और जहाज कलमे
 टैंगुलस कोर कर सकता था ?

श्री जंगल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब
 आपने बड़ी कृपा की और उनको दूसरी
 बार बोलने का मौका दिया। वैसे कालिग
 एटेंशन में एक ही मौका मिलता है
 और उतका जबाब मिनिस्टर दे या न दे,
 यह भी उसके अखत्यार की बात है
 लेकिन जब आपने कृपा कर उनको मौका
 दे ही दिया है तो मैं जबाब भी दिए
 देता हूँ। कितना समय लगता और कितने
 समय के बाद डेमेज हो सकता था या
 क्रीम हो सकता था यह जो बातें हैं
 ये टेक्नीकल बातें हैं और टेक्नीकल बातों
 का बिना पूछे मैं जबाब नहीं दे सकता
 हूँ। एक्स्पर्ट्स की जो राय है वह मैं
 पहले बता चुका हूँ। अब जो जांच चल
 रही है उसमें समय लगेगा। समय लगता
 ही है। जिस ढंग से उन केबलज को
 डेमेज किया गया और उसकी वजह से
 कितने घंटे या कितने मील या कितने
 किलोमीटर बंध जाता तब दुर्घटना होती
 ये सब टेक्नीकल बातें हैं और जितनी
 टेक्नीकल बातों की जानकारी हम को
 मिली है, वे भी मैं आज पब्लिक में नहीं
 रख सकता हूँ।

श्री बी० डी० सिंह (फून्पुर) : जब
 भी कोई घटना प्रधान मंत्री के साथ
 होती है तो सरकार उसको राजनीतिक
 मोड़ देने की कोशिश करती है और जब
 न्यायिक जांच की मांग की जाती है।
 ताकि तथ्य जनता के सामने जा सकें तो
 ऐसा कभी नहीं किया जाता है। इलाहाबाद
 में जब हाई कोर्ट में पेटिशन चल रही
 थी उस समय भी एक घटना हुई थी और
 हम लोगों ने न्यायिक जांच की मांग की
 थी, लालयानी का केस हुआ था, तब
 भी की थी, पिछले वर्ष मरहूम संजय गांधी
 का केस हुआ था और तब भी हमने
 न्यायिक जांच की मांग की थी। लेकिन
 हमारी मांग मानी नहीं गई। मैं समझता
 हूँ जब भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस
 तरह की चीजों में इनवाल्ड हो तो
 न्यायिक जांच करवा कर जनता के
 सामने स्पष्ट बात रखने की कोशिश
 होनी चाहिये। लोगों को गुमराह नहीं
 किया जाना चाहिये। लेकिन यह सरकार
 न्यायिक जांच न करवा कर हमेशा उस
 चीज को राजनीति मोड़ देने की कोशिश
 करती है।

यह एयर इंडिया से सम्बन्धित सवाल
 था और इसका शर्मा जी को जबाब देना
 चाहिये था। उनके स्थान पर गृह मंत्री जी
 इसका जबाब दे रहे हैं। उनके सामने
 ही मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूँ।
 केबलज डेमेज करने की बात प्रकाश में
 आई है। इसके पहले यह जहाज प्रधान मंत्री
 के लिए निश्चित नहीं किया गया था।
 अगर निश्चित किया गया था तो मैं
 जानना चाहता हूँ कि किस तारीख को,
 किस तिथि को प्रधान मंत्री के लिए
 यह निश्चित किया गया था, उनके जाने
 के लिए निश्चित किया गया था ?

यह जहाज अबू धाबी से पंद्रह अप्रैल
 को यहां पर आया। उन समय यह स्पष्ट

[श्री बी० डी० सिंह]

नहीं हुआ था कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है वह वहाँ पर हुई है या यहाँ आने के बाद हुई है। उसके पहले सारा एक्शन गृह मंत्री द्वारा ले लिया गया। जिन अधिकारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। उनमें से कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने चालीस साल या उससे भी अधिक सेवा की है। जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं थे। बड़ी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का वे निर्वाह कर रहे थे। इस मामले में भी उन्होंने गम्भीरता दिखाई और उच्च-अधिकारियों को खबर दी। उन्होंने हल्के ढंग से इस केस को नहीं लिया। फिर भी उसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। इंजीनियरिंग विभाग के डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर सेवा मुक्त किए गए हैं। क्या वे सीधे तौर से इसके लिए जिम्मेदार थे, सिविलियरटी के लिए जिम्मेदार थे? अगर ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि एयर इंडिया के जो चीफ हैं या मंत्री महोदय हैं ये भी जिम्मेदार थे और इनको भी बरखास्त क्यों नहीं किया जाता है? इनको भी हटाना चाहिये, यह भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

श्री के० पी० उन्नीकुण्डन : रघुराज को क्यों नहीं ?

श्री बी० डी० सिंह : 20 अप्रैल को जैसा बताया गया है ऐलीवेटर का केबिल खराब था, 17 तारीख को नोटिस में आया, तो तब हुआ कि 20 अप्रैल को इसको रिप्लस किया जायगा। गौर जब 20 तारीख को रिप्लस कर दिया गया तो यह समाचार मिल रहा है कि पायलट ने क्षमीन पर ही उसको चलाया और उसने बताया कि केबिल सिस्टम में कोई गड़बड़ी है और तब उसकी थोड़ी

इनकवायरी की गई। तो इससे मालूम होता है कि प्रधान मंत्री को 5 मई को जाना था और तीन दिन पहले उसकी जांच होती है और उसकी थोड़ी इनकवायरी होती तब भी पता चल जाता कि केबिल सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि पायलट ने उसको बताया और तब इनकवायरी हुई। साथ ही साथ 20 तारीख की घटना थी; तो कब कैबिल सिस्टम में सुधार किया गया और आपको सूचना इसकी कब मिली? क्योंकि आपने 27 तारीख को सदन को बताया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जो 5 अधिकारी हटाये गये हैं उन्होंने प्रेस को कुछ बयान दिया और आपने जो बयान दिये हैं उन दोनों में कन्ट्रिडिक्शन है। और जो आप कह रहे हैं कि एयर इंडिया आटोनोमस बाडी है तो यह निश्चित बात है कि एयर इंडिया के जो चीफ हैं उनके द्वारा एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि सरकार द्वारा एक्शन लिया गया है और अधिकारियों को हटाया गया है। और आज उन अधिकारियों को कोई भी बात कहने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ तक समाचार मिल रहे हैं कि टेलीफोन सिस्टम भी उनका तोड़ दिया गया है और प्रेस को कोई खबर नहीं दी जा रही ऐसी पाबन्दी लगा दी गई है।

अन्त में यह जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा 5 मई को प्रधान मंत्री जी को जाना था उसके तीन दिन पहले जो जांच होती उससे यह डिटेक्ट न होता जो केबिल डैमेज हुआ। तो क्या जो जांच होती है उस प्रणाली में कोई लुटि है जिससे जब कोई वी० वी० आई० वी० बाहर जाता है तो उसकी ठीक से जांच नहीं हो पाती है मतलब यह कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। तो उस सिस्टम को सुधारने की आप क्या कोशिश कर रहे

हैं ? कहने का मतलब यह है कि पांच सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। उसके सुधार के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

उपस्थित जी, यह बड़े खेद की बात है कि जब गृह मंत्री जी वहां गये उसके पहले मकालू त्रिमान वहां से सियापुर जा चुका था और आपको दूसरे जहाज के द्वारा समझाने की कोशिश की गई। जब इतनी गंभीर बात थी तो उस जहाज को रोकना चाहिये था। जब केबल सिस्टम डैमेज पाया गया तो क्या उस पर फिगर प्रिंट्स लेने की कोशिश की गई ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are asking about detailed investigations. How can he reply now?

श्री बी० डी० सिंह : कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गये ; इन्होंने 5 अधिकारियों को हटा दिया और पहले 27 तारीख को आप कंसे इस नतीजे पर पहुंच गये कि यह जिम्मेदार हैं। क्या आपने फिगर प्रिंट्स लिये ? और अगर नहीं लिये गये तो क्यों नहीं लिये गये ? यह सारे अहम मामले हैं और मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी इन प्रश्नों का उत्तर दें और इस तरह से राजनीति मोड़ देने की कोशिश न करें।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल गलत और बेबनियाद है कि सरकार जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उसको राजनीतिक रंगत देती है। वलिक मुझे अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ नहीं हैं, विरोधी हैं, वह विरोध जरूर करें, लेकिन ऐसी बातों को भी पोलिटिकल रंगत दे देते हैं और कोशिश करते हैं। प्रधान मंत्री के ऊपर इलाहाबाद की बात भी बतायी है, और यहां भी एक नाइफ फेंका गया। तो बनात वाला

जी ने जब मेरे से पूछा कि आप विवास दिलाओ कि आप सिक्थोरिटी का पूरा इंतजाम करेंगे ? मैं समझता हूँ कि दानिशमन्दी इस बात में है कि आनरेबल मेम्बर इस बात पर जोर देते कि प्रधान मंत्री को सिक्थोरिटी में कमिया क्यों रखते हो ? प्रधान मंत्री की एक पार्टी की बात नहीं होती है, पार्टी के अलावा प्रधान मंत्री के बनने के बाद वह तमाम कौम की शान, इज्जत और सम्मन होता है।

इसलिये मैं समझता हूँ कि यह अपने मन से बात निकाल देंगे और कोई शकोसुबाह नहीं रखेंगे। हम इस बात को बिल्कुल पोलिटिकल रंगत नहीं दे रहे हैं, हमारा इतना कसूर है कि हमने बात को छिपाया नहीं, जब खबर मिली तो हमने सोचा कि पार्लियामेंट में इसको बताना चाहिये। जहां तक हमारी कोशिश का ताल्लुक है, उसमें हम कसर नहीं छोड़ते, मगर मैंने पहले ही कहा था—

शब्द अनेक चलावत घाव, तो तन लागन एक न पावे।

राखत है अपना कर दे कर, पाप समूह न भेटन पावे ॥

आप कितना भी यह सोचें, कितने बड़े हमले प्रधान मंत्री पर होते रहे हैं, परन्तु परमात्मा का हाथ उनके सिर पर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। हम यह रंग नहीं देंगे, रंग देने की हमको कोई जरूरत नहीं है।

(उपस्थित)

यह ऐसा है कि जब आप कभी होम मिनिस्टर बनें, इस जन्म में या अगले जन्म में तो बहुत अच्छा लगेगा।

[श्री जैल सिंह]

यह भी कहा कि एक्सपर्ट की राय के मुताबिक हमको बताया जाये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सपर्ट ने जो अब तक राय दी है कि यह एक बहुत आतिराना तरीके से इन केबल्स को डैमेज किया गया है। काटा नहीं, बल्कि डैमेज किया गया है ताकि यह पता न चले और कुछ देर के बाद यह दुर्घटना हो। इसके मुतालिक कोई शक-सुबाह की बात नहीं थी।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Sir, I am on a point of order....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are not here in the Calling Attention. I am not permitting you.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: *

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Why?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry. Your name is not here in the Calling Attention.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your name is not here. Whatever he says will not go on record.. (Interruptions) Don't show your finger here.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen. Calling attention discussion is going on. No other member whose name is not here will be allowed.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: I am not asking. I am only on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : There is only one rule. Do I have to teach you everytime?

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is casting aspersion. I am very sorry. Don't cast any aspersion.

Under what rule you are raising a point of order?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: There is only one rule under which a point of order can be raised.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can raise a point of order. Which rule has been infringed?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: There is only one rule under which point of order can be raised. That is Rule 376. Will you tell me another rule under which point of order can be raised?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am asking you which rule has been infringed? Please quote the rule. Don't pass any remarks on the Chair. You better don't pass any remarks on the Chair. Which rule has been infringed?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: This is not an infringement. I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Which rule has been infringed?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Please allow me to formulate the point of order. The Minister has said just now in his reply quoting certain technical matters or advice which has been given to him on the basis of which he has given his reply—not once but he has repeated it and this is the third time. My question is: there is a rule which says that if any such advice is quoted, then the House is entitled to ask him to lay it on the Table.

My question is: Would the Minister, while quoting the advice..... (Interruptions).

भाषार्थ मगवान देव (मजमेर) :
उपस्थित महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है।
(उपबधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will give my ruling on the point of order. Do not go into details. You have raised a point of order quoting something. While formulating his point of order, a Member may quote the specific rule or the provision of the Constitution relating to the procedure of this House. On that you have no such point of order.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: I know that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Therefore, you cannot ask for reply from the Minister. You must raise the point relating to the procedure.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: I shall quote.... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is asking me only. Therefore, I wanted him to quote the provision of the Constitution. Then, only I must give my ruling. Now let us go on with our work. Mr. Minister, you conclude your reply now.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: You asked me and so I am helping you; I am assisting you. Under Rule 368...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are teaching me.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: I am assisting you. Probably, you are not aware of the procedure. Rule 368 says:

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table.

"Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production

would be inconsistent with public interest:

"Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall read out.

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House.... (Interruptions)
Please listen.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: He has said that it is a technical matter.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will give my ruling on the point of order. Then only, I go into details.

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant papers on the Table."

He has not presented any paper. Therefore, his point of order is ruled out of order. Mr. Minister, you can continue. The point of order is ruled out of order. The Minister can continue.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Sir, I rise on a point of order under Rule 370.

"If, in answer to a question.... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude, Mr. Minister.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: My point of order is:

"If, in answer to a question or during debate, a Minister discloses the advice or opinion given to him by any officer.... (Interruptions)

श्री जैल सिंह : रिपुटी रफ़ीकर साहब, उन्होंने कहा कि ये जो पांच अधिकारी एयर इंडिया के हटाए गए हैं, वे मैंने हटाए हैं। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैंने उनको रीमूव नहीं किया है। (इयबघान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can conclude now.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: You are not allowing me to raise my point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is concluding now.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Under Rule 376.... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. Mr. Minister, you conclude now.

श्री जैल सिंह : आप जानते हैं कि एयर इंडिया एक आर्टोनोमस बाडी है। उन्होंने अपने रूलज़ और रेगुलेशन्स के मुताबिक उनकी सर्विसिज़ को टर्मिनेट किया है, और टर्मिनेशन के बाद मुझे पता चला है कि उनकी सर्विसिज़ टर्मिनेट की गई हैं। यह बात भी बिल्कुल बेबुनियाद है कि उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया, जो मेरे स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं था। ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया।

उन्होंने फ़िगरप्रिंटस के बारे में पूछा है उन केवलज़ के बारे में फ़िगरप्रिंटस लेने का इन्तज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह मुझे पता नहीं है यह टेकनिकल

बात है अगर जरूरत हुई होगी तो लिए होंगे, नहीं तो नहीं लिए होंगे, अगर ऐसा किया भी गया है तो यह मामला ग्रैंडर इन्वेस्टीगेशन है। इसके मूतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 14.30 hours.

13.30 hrs...

The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes past fourteen of the Clock.

The Lok Sabha then reassembled after lunch at thirty-eight Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy Speaker—in the Chair)

SHRI HARIKESH BHADUR (Gorakhpur): I rise on a point of order. Sir, under Rule 376 I rise on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No point of order now. There is vacuum in the House. No point of order can be raised now. You must take my permission if you want to raise any point of order. I am not giving you permission. First let the matters under Rule 377 be over. Till this is over, I am not giving you permission.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. Nothing will go on record.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. It will not go on record. Only matters under Rule 377 now.

Shri Rasabehari Behera.